न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद पत्र संख्या : 60/2021
GCMS No. : 2021/131

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादी	प्रतिवादीगण
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली	1. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति- कुमावत, निवासी- निमाज, 2. बद्रीलाल पुत्र बाबुलाल जाति- माली, निवासी- निमाज, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू - : 08.06.2021

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 15/02/2022

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 846/17 रकबा 0-2185 हैक्टयर किस्म चाही चारम मौजा** निमाज प्रथम में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **आवासीय कॉलोनी काटकर** खर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 24.05.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि(आवासीय कॉलोनी प्रयोजन)** का कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92क, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ[illegible] पेश कर निवेदन है:-

(क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री [illegible] जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा [illegible] निषेधाज्ञा से [illegible] किया जावें कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र को खु[illegible] बुर्द नहीं करें। अ[illegible] जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाबदावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि खसरा नम्बर 846/17 रकबा 0.2185 हैक्टेयर सरहद मौजा निमाज प्रथम के जवाब देहन्दा रेकर्डेड खातेदार है। वादपत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि वादग्रस्त सम्पति को जवाब देहन्दा अकृषि कार्य के रूप में उपयोग में नहीं लेकर कृषि कार्य के रूप में उपयोग ले रहे है। मौके पर कोई आवासीय कॉलोनी नहीं कटी हुई है। न ही कोई मकान बने हुये है। जवाब देहन्दा वादग्रस्त सम्पति में सुधार कर रहे है। अर्थात् मौके पर वृक्षारोपण करनें के लिये जगह जगह सुधार कार्य किया है। इसके अलावा मौके पर जवाब देहन्दा कोई गैर कानूनी कृत्य नहीं किया है। न ही टिनेन्सी शर्तो को भंग किया है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य झूठे व मनगढ़त है। वादपत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि जवाब देहन्दा ने टिनेन्सी शर्तो को भंग नहीं किया है। न ही मौके पर कोई हानिप्रद कार्य किया है। मौके पर जरूर जवाबदेहन्दा ने अपनी कृषि भूमि पर सुधार किया है। जिससे भी मौके पर वृक्षारोपण किया जा सके और कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया जा सके और किसी भी कृषि भूमि का सुधार कार्य करना हानिप्रद कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य झूठे व मनगढ़त है। वादपत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि वादी को जवाब देहन्दा के विरुद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता है क्योकि वादी ने न तो कोई मौके पर रिपोर्ट तैयार की, न ही कोई फोटोग्राफ या दस्तावेज पेश किये है। जबकि जवाब देहन्दा की कृषि भूमि का हल्का पटवारी ने हर वर्ष गिरदावरी में किया है। जवाब देहन वादग्रस्त सम्पति का, कृषि के रूप में उपयोग में ले रहे है। मौके पर किसी भी तरह की आवासीय कॉलोनी कटी हुई नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि वादी ने वादपत्र प्रस्तुत करनें से पूर्व में न तो जवाब देहन्दा को नोटिस दिया न ही इन्हे सुना गया न ही कोई ऐसी कोई मौका रिपोर्ट पेश की है। जिससे भी जवाब देहन्दा को बेदखली का कोई कारण बना हो। मात्र हैरान परेशान करनें की नियत से झूठा वादपत्र पेश किया है। वादपत्र के पद संख्या 06 का जवाब है कि जवाब देहन्दा के विरुद्ध कोई बेदखली का प्रकरण नहीं बनता है। न ही वादी जवाब देहन्दा के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी है क्योकि जवाब देहन्दा अपनी खातेदारी भूमि का कृषि भूमि के रूप में उपयोग में ले रहे है इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य झूठे व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। अतः जवाब दावा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

हल्का पटवारी निमाज एवं भू. [illegible] निमाज द्वारा नवीनतम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.12.2021 को [illegible] सामिल मिसल की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात जवाब [illegible] अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता [illegible] अवलोकन किया गया। बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार है:-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की **खसरा नम्बर 846/17 रकबा 0-2185 हैक्टयर किस्म चाही चारम मौजा निमाज प्रथम,** जो कि कृषि भूमि है, के अभिलिखित खातेदार है, द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक प्रक्रिया आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा टिनेन्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहें। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें।

2. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.05.2021 के अनुसार खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर चारदीवारी का निर्माण कर प्लॉटिंग आदि कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग आंरभ कर दिया है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त आराजी भू अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा जवाब देहन्दा द्वारा कृषि कार्य के रूप में ही उपयोग में ली जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि को समतल कर साफ सुधार कर वृक्षारोपण किया है और इस तरह से अपनी आराजी पर वृक्षारोपण कर उसे उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया टीनेन्सी शर्तो का भंग नहीं है, जोकि किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य की श्रेणी में नही आता है, न ही मौके पर किसी प्रकार से कॉलोनी आदि का निर्माण किया गया है।

5. वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी निमाज प्रथम द्वारा दिनांक 21.12.2021 को वादग्रस्त आराजी की मौके पर तैयार नवीनतम मौका रिपोर्ट जिसे पर प्रतिवादीगण खातेदारान् के भी हस्ताक्षर है एवं मौके के फोटोग्राफस के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में चारो ओर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है एवं वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं हो रखी है। **खसरा नम्बर 846/17 रकबा 0-2185 हैक्टयर** किस्म चाही चारम में प्लॉटिंग के पीलर(पत्थर) इत्यादि नहीं लगा रखे एवं मौके पर जमीन खाली पड़ी है।

6. **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की *धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त-भंग के लिए बेदखली*** -(1) भू धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर, जो उसकी जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

(ब) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति नें ऐसी शर्त भंग की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे कार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो भूमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

7. वादग्रस्त आराजी की उभयपक्ष की उपस्थिती में तैयार नवीनतम मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पक्की चारदीवारी एवं तारबन्दी का निर्माण करवाया गया तथा जमीन मौके पर खाली पड़ी है। मौके पर किसी प्रकार के पक्के निर्माण या कॉलोनी, प्लॉटिंग इत्यादि नहीं पाई गई, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य रेकॉर्ड पर उपलब्ध है जिससे यह विश्वास करनें का हेतुक हो की खातेदारान् द्वारा कृषि भूमि पर अहितकर कार्य किया जा रहा है। यह स्वीकृत स्थिति है कि जैसे-जैसे वारिसान की संख्या बढती जाती है वैसे वैसे जोत का आकार एवं खातेदार का हिस्सा घटता जाता है तथा किसी भी सहखातेदार द्वारा मौके पर जोत मे से अपने हिस्से तक भूखण्ड बनाकर मेडबंदी या तारबन्दी किया जाना या चारदीवारी का निर्माण करना स्वयं के निवास एवं पशुशाला आदि तथा अनाज एवं चारा भण्डारगृह का निर्माण करना कृषि कार्य की श्रेणी में आता न की अकृषि कार्य की श्रेणी में आता है। अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 15/02/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)